न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

UPSD010021922025

Criminal Misc. Cases/202/2025

1. शिवकुमार अवस्थी पुत्र गुलाब अवस्थी
2. धीरज पुत्र शिवकुमार अवस्थी
3. सूरज पुत्र शिवकुमार अवस्थी
4. नीरज पुत्र शिवकुमार अवस्थी
5. मनोरंजन पुत्र शिवकुमार अवस्थी
6. संगीता पुत्र शिवकुमार अवस्थी

निवासीगण कबीरपुर, थाना मैरवा, जिला सिवान राज्य बिहार।

---पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. सरकार
2. पंकज दूबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दूबे

निवासी ग्राम बयारी, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर उ०प्र०।

---विपक्षीगण

निस्तारण प्रार्थनापत्र 4 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

1. पत्रावली लंच उपरान्त आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

2. प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 4 ख मय शपथ पत्र 5 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पुनरीक्षणवाद में निवेदन है कि पुनरीक्षणकर्तागण/प्रार्थीगण को मुकदमे का ज्ञान विचारण न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन के बाद जानकारी दिनांक 01.08.2025 को हुई तत्पश्चात नकल प्रार्थना पत्र प्राप्त कर तलबी आदेश दिनांक 15.07.2024 की नकल प्राप्त कर अवगत हुआ। ऐसी सूरत में पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, जो भी विलम्ब हुआ है बवजह काबिल माफी के है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अपील योजित किये जाने में हुए विलम्ब का क्षमा कर अपील को अंदर मियाद मानकर अंगीकृत किया जाने की कृपा किया जावें।

3. प्रार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अभियोजन की ओर से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए हर्जा दिलाये जाने का तर्क रखा गया है।

4. उभयपक्षों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

5. चूंकि आदेश 15.07.2024 का है व निगरानी दिनांक 12.08.2025 को दाखिल की गयी है। परन्तु चूंकि निगरानीकर्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत परिवाद में पारित तलबी आदेश के संदर्भ में सम्मन का तामीला दिनांक 01.08.2025 के पश्चात् होने

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.04.03 16:30:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का कथन किया गया है, जिसका विरोध विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को जबकि हर्जे के आधार पर क्षमा किये जाने की आपत्ति विपक्षी द्वारा की गयी है। **विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 05 मियाद अधिनियम का निस्तारण करते समय न्यायालय को बहुत कठोर दृष्टिकोण न अपनाकर लचीला रूख अपनाना चाहिए। प्रत्येक मामले का निस्तारण उसके गुणदोष के आधार पर होना चाहिए। तकनीकी बिन्दु के आधार पर किसी मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।** अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कथन किया गया है वह शपथ पत्र से समर्थित है, जिसपर अविश्वास किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थनापत्र 4 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ख मु०–1000/– (एक हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए, विलम्ब के लिए छूट प्रदान की जाती है। पत्रावली को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के न्यायालय में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

7. उभयपक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में **दिनॉक 16.04.2026** को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

दिनांक–03–04–2026

(मनोज कुमार तिवारी–।)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736